IV 25/2019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 489553

माया सेवा ट्रस्ट (न्यास) स्टाम्प 1240.00

(Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13.08.2019 को बलिया में सुरेन्द्रनाथ राम पुत्र स्व0सेवक राम ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि संस्थापक के पास रूपये 5000/– (पॉच हजार रूपया मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, जागरूकता, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा अल्पसंख्यक, पिछड़ा व अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के गरीबों के उत्थान हेतु दान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं, जो कि समाज एवं सामाजिक उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, मैं सुरेन्द्रनाथ राम मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव व श्रीमती माया देवी पत्नी श्री सुरेन्द्रनाथ राम ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया (संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उपप्रबन्धक/उपसचिव नियुक्त करते हुए यह माया सेवा ट्रस्ट (न्यास) ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा।

परिषद विनियमों के अध्याय–7 के विनियम–6 के पश्चात संशोधित स्वरूप नवीन विनियम 6 ख के अनुसार इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत् हैः–

S. Ram

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] सुरेन्द्र [illegible] पुत्र
सेवक राम ग्रा० [illegible] पो० पचखोरा जि० बलिया

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसडा-बलिया (यू०पी०)

[illegible] कोषागार रसड़ा
[illegible] – बलिया

26 JUL 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 435102

(2)

ट्रस्ट/न्यास का नाम माया सेवा ट्रस्ट (न्यास)

ट्रस्ट का पता ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया(उ0प्र0) भारत

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया

जिसे आवश्यकतानुसार कही भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किया है:–'

1. सुरेन्द्रनाथ राम पुत्र स्व0सेवक राम ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया संस्थापक ट्रस्टीप्रथम प्रबन्धक/सचिव
2. श्रीमती माया देवी पत्नी सुरेन्द्रनाथ राम ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उप प्रबन्धक/उपसचिव
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सेवक चौहान ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदरजनपद बलिया जनपद बलिया सदस्य
4. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया सदस्य
5. पंकज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया सदस्य
6. अंकुश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जनपद बलिया सदस्य
7. अनिल चौहान पुत्र स्व0श्रीकृष्ण चौहान ग्राम नत्थूपुर पोस्ट गोपालपुर तहसील रसड़ा जनपद बलिया सदस्य
8. संजय चौहान पुत्र रामध्यान चौहान ग्राम पचमा पोस्ट उधरन तहसील बेल्थरारोड जनपद बलिया सदस्य
9. लल्लनचौहान पुत्र स्व0सरल चौहान ग्राम मुड़ेरा पोस्ट कोथ तहसील सिकन्दरपुर जनपद बलिया सदस्य

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

17 JUL 2019

आवेदन स०: 201900977003678

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 25 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1240 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 180 योग : 280

श्री माया सेवा ट्रष्ट द्वारा सुरेन्द्र
पुत्र श्री स्व० सेवक राम
व्यवसाय : कृषि
निवासी: पिपरा वाला पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जिला बलिया

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 13/08/2019 एवं 12:24:39 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल कुमार श्रीवास्तव (प्रभारी)
उप निबंधक :रसड़ा
बलिया
13/08/2019

कार्यालय उपनिबन्धक रसड़ा
निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367014

माया सेवा ट्रस्ट (न्यास)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित हिन्दी,अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, एवं भिन्न भाषाओं में बालक, बालिकाओं के लिए आवासीय / अनावासीय प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय,(कला, विज्ञान, कामर्स स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा) ,सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0, अम्बेडकर हरिजन उर्दू, संस्कृत, बौद्ध, आश्रम विद्यालयों / महाविद्यालयों, प्रौढ़ व अनौपचारिकशिक्षा केन्द्रों, टेक्निकल शिक्षण संस्थान, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मदरसों,अल्पसंख्यक संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अनाथालाय, अस्पताल, आश्रम, प्रेस,सामाजिक पत्रिका,अखबार, कला केन्द्र , पुस्तकालय, वाचानालय आदि की स्थापना व संचालन करना।
2. नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ ओपेन स्कूलिंग संचालन हित विभिन्न प्रयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्द्धा परीक्षाओं हेतु छात्र / छात्राओं के लिए कोचिंग संस्थान व आवास की स्थापना व अध्ययन सामग्री आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करना। साथ ही मुक्त व नीजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता लाo नंo-५५८
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

आवेदन सं०: 201900977003678

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 25 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री माया सेवा ट्०द्वा०सुरेन्द्र, पुत्र श्री स्व० सेवक राम

निवासी: पिपरा कलां पोस्ट पचखोरा तहसील सदर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

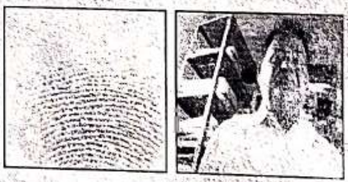

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री रमजान , पुत्र श्री स्व० मजद्दीन अहमद

निवासी: पिपरा कलां पोस्ट पचखोरा जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि रमजान

पहचानकर्ता : 2

श्री मुकेश्वर सिंह , पुत्र श्री रामयश सिंह

निवासी: डिहवा जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि मुकेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367015

3 निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, कीड़ा स्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

4 बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

5. विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृतिम अंगों का वितरण करना।

6. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर, हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, ,कढाई कटाई, बुनाई, तकनीकी कुटीर शिल्पकला हस्तशिल्प कला, काष्ठ कला कम्प्यूटर, टंकरण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरी कढाई, चिकन कढाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, बादय कला, नृत्य मोटरट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों फोटोग्राफी ए0सी0रेफिजरेशन, फैशन डिजाइनर एक्स–रे टेक्नीशियन, लैब पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मास कम्युनिकेशन, साफ्टवाय, नृत्य थियेटर, माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रेस रिपोर्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट, एण्ड आफिस मैनेजमेंट विजनेस डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग, पेंटिग, आई0टी0आई0, बाम्बे आर्ट, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों

Scanned with OKEN Scanner

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल कुमार श्रीवास्तव (प्रभारी)
उप निबंधक : रसड़ा
बलिया

कार्यालय उपनिबन्धक रसड़ा
निबंधक लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
TWENTY RUPEES
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
39AA 367016

की स्थापना एवं संचालन करना।

7 जनविकास हेतु विचार गोष्ठियों प्रवचन, सभाओं, अध्ययन शिविरों, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

8 नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नाली एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

9 गरीब, हरिजन, विकलांग मेधावी, निराश्रित असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

10. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना तथा रख रखाव करना।। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, कपार्ट, नवार्ड नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्णजयन्ती, स्वरोजगार स्वजल धारा सिप्सा नेहरू युवा केन्द्र व युवा कल्याण आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।

12 बालक/बालिकाओं कलकारों के शारीरिक बौद्धिक मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय समय पर खेलों सेमीनारों गोष्ठियों प्रदर्शनियों आदि का आयोजन संचालन करना, सफल बालक/बालिकाओं कलकारों को पुरस्कृत करना।

M Ram

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367017

(6)

13 भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला तहसील, ब्लाक तथा न्यायपंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को कियान्वित करना।

14 वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेन्ट योजनाओं को कियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

15 मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को कियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने का सही उचित सलाह देना तथा जगह–जगह निःशुल्क नसबन्दी शिविरों टीकाकरण, शिविरों पल्सपोलियो शिविरों, हेपेटाइटिस शिविरों, दवाखानों चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स अपंगता, कुष्ठ अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

16. कुटीर उद्योग को बढावा देने मोमबत्ती, अगरबत्ती दिया सलाई वाशिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, अचार मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, विस्कुट, नील, चाय, कागज की कप प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

17. समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज बाल विवाह नशा, शराब, गॉजा अफीम, भॉग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

18 गॉवों का विकास करना तथा गॉवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों सफाई पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

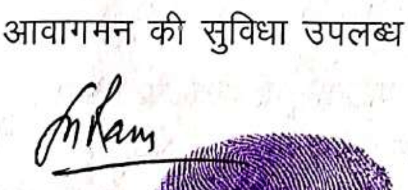

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-त्रलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367018

(7),

19 गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

20 कस्तूरबा गॉधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापनपा एवं संचालन करने का प्रयास करना।

21 युवाओं की मॉगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना।

22. दैवीय आपदा यथा बाढ सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि तूफान आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन दवा–इलाज आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।

23 वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना उनपर महत्वपूर्ण शोध करना उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार प्रसार करना।

24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं स्टार्टअप एवं डिजिटल इण्डिया मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम

स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४

रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8), 39AA 367019

25 स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।

26 स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉच व परीक्षण करना तथा समय समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना।

27 युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा , ग्रामसेवा, सदाचार, कर्तव्य सहायता, आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाई चारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।

28 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी0बी0, चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमो, अधिवेशन, व सम्मेलनों में सहभागिता द्वारा ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

29 सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।

30 स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना ताकि आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा औषधियों का उत्पादन एवं योगा आदि को बढावा देने का प्रयास करना।

31 गॉवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह जगह चौपाल जनजागरूकता कार्यक्रमों प्रदर्शिनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह जगह निःशुल्क शौचालयों मूत्रालयों पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसडा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367020

(9),

32 औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण, जल चक व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यकमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

33 गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाणपत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

34 कृषि उत्पाद बढाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकी यंत्रों खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

35. जेटोफा (डीजल का पौधा) रतन ज्योति) की खेती को बढावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफा के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना।

36 युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना तथा अध्यात्म व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

[illegible]

राम अवध राम

स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४

रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238692

(10)

37 आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधो एवं वृक्षो का रोपण एवं उनकी देखभाल करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार प्रसार करना तथा जगह जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक संस्थानों, विश्वविद्यालय,चिकित्सालयों शिविरों दवाखानों आदि की स्थापना करना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

38 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बी0एल0एड्0 डी0एल0एड(बी0टी0सी0) बी0पी0एड्, डी0पी0एड्(विशेष शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।

39 संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा 12(क) एवं 80जी(5) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

40. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना तथा उसकी बाउण्ड्रीवाल तैयार कराने का प्रयास करना।

41 असहाय विकलांग के लिए विश्राम कक्षों, भोजन वस्त्र आदि का प्रबन्ध करना और उनको आमंत्रित करना।

42 जन समुदाय के उत्थान हेतु कार्य करना।

Scanned with OKEN Scanner

से. ४०८/ता - २-२-०९८-२०१० [illegible]

[illegible] प्रसाद सिंह
विक्रमगंज
[illegible] 061
[illegible] आ.एस.डा. [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

- उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367021

(11)

43 राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।

44 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत वृद्ध जो असहाय हों उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवास एवं अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करना।

45 भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार के कार्य करना।

46. किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण अनुदान आदि प्राप्त करना।

47 किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री राज्यमंत्री राज्य सरकार केन्द्र सरकार विदेशी सरकार से सहायता दान, चन्दा अनुदान आदि प्राप्त करना।

48 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निःशुल्क पुस्तकालयों वाचनालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

49 विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय संरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना।

50 सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्डो, डण्डा मैन, गन मैन, लेबर कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

51 गरीब छात्र/छात्राओं को ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देकर आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367022

(12)

52 स्वरोजगार को बढावा देने हेतु प्रशिक्षण देकर लोगों को स्वरोजगार के तरफ उन्मुख करना।

53 लोगों को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता हेतु सेमिनारों का आयोजन करना।

54 जन जागरूकता के माध्यम से गॉवों में सफाई, एवं अन्य कार्यो की जानकारी देना।

55 गॉवों में शिक्षा, का प्रचार प्रसार कर गरीब लोगों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना।

56 गॉवों में सामाजिक सौहार्द कायम करने हेतु प्रयास करना।

57 लोगों को शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर उनको आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्य करना।

Scanned with OKEN Scanner

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367023

(13)

58 ओल्ड एज होम की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत वृद्ध साधू सन्त पुरूष महिला जो कि असहाय हों उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अन्तिम संस्कार की व्यवस्था के लिए कार्य करना।

59 ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल व सुरक्षा करना तथा दहेज रहित विवाह को बढावा देना तथा पेट्रोलपम्पों की स्थापना करना।

60 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना।

61 गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर के लिए आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतः खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना।

62 किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों आयेाग/अथवा राज्य मण्डल और अथवा संस्था/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा दान, अनुदान, वसीयत और धरोहरो की योजना प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

63 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यक्रमो व योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बंसिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ व संचालन करना।

[illegible]

[illegible]

राम अवध राम

स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४

रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367024

64 संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि भवन अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान क्रय–विनियम किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

65 मकानों संरचनाओं अथवा भवनो को बनाना निर्माण तथा रख रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर फेर विस्तार,सुधार, मरम्मत परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश नाली पानी फर्नीचररों आवश्यक यंत्रों उपकरणों आदि से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था करना।

66 संस्था से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियॉ (चल एवं अचल) है का क्रय, विकय, प्रबन्ध हस्तान्तरण विनियम बंधक, डिमांड्स, पट्टा अथवा किराये पर लेना निष्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना संस्था से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल सम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना।

67 संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना तथा लेन देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।

68 संस्था के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखायें खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367025

69 संस्था की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रसांगिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य एवं उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

70 संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उसे सदस्यों को नहीं बॉटा जायेगा।

71 केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रों एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

72 खादी का प्रचार प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग खादी कमीशन केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण अनुदान दान चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

73 केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त कर संस्था में कार्य करना।

74 निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसडा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16) 39AA 367086

75 कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।

76 क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनायें बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

77 मत्स्य पालन व्यवसाय हेतु तालाबों व पोखरों आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन व मत्स्य बीज का वितरण करके निमित्तत व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देखकर देश व जनता के विकास का प्रयास करना।

78 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना।

79 समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी0एड्0 बी0पी0एड्0 सी0पी0एड0 बी0टी0सी0 यू0टी0सी0 डी0पी0एड्0आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एव संचालन करना।

80 उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

81 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 यू0पी0बोर्ड के विद्यालयों, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

नं० 994 [illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367087

82 पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिंग होमो फार्मेसी, पैथालाजी, रेडियोलाजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिटी, नर्स आदि प्रशिक्षण केन्द्रों (ए0एन0एम0 / जी0एर0एम0)तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

83 गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी समृद्धशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।

84 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

85 स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा इक्यूप्रेशर आदि को बढावा देने का प्रयास करना तथा नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

86 कम्पयूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को कियान्वित करने का प्रयास करना।

87 बेरोजगार युवक / युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 367088

(18)

88 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, कालाजार, डेंगू, बुखार जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रचित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी0बी0,चेचक, गिनी कृमि, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

89 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय लोगों को भोजन चिकित्सा आवास वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

90 बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पं0दीनदयाल उपाध्याय एवं तमाम देशभक्तों के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनकी कृतियों का समाज में प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

91 दलित शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

Scanned with OKEN Scanner

नं० 912 दि० ५-८ 2025 [illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५४
रसडा-बलिया (यू०पी०)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 367089

92 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना।

93 राज्य सरकार केन्द्र सरकार समाज कल्याण अल्पसंख्यक हरिजन कल्याण बाल कल्याण महिला कल्याण एवं बाल पुष्टहार पशुधन विभाग सहकारिता लैक्स पेड आदि भिन्न विभागों द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

94 पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों सीमेन्ट ईट का निर्माण मिट्टी ईट का निर्माण पेट्रोलपम्प गैस एजेन्सी आदि की स्थापना व संचालन करना।

95 देह व्यापार से जुड़ी लड़कियों को आजाद कराना तथा इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना।

96 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी से कार्य लेना तथा इसे कियान्वित करना।

97 स्वच्छता के प्रसार प्रसार हेतु राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करना।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता. ला० नं०-५५०
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु. 20
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
Rs. 20
TWENTY RUPEES
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
39AA 367090

98 बालू खदान मार्बल खदान पत्थर खदान लोहा खदान कोयला खदान तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

99 शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्र पत्रिकाओं अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।

100 मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना।

101 ट्रस्टहित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति यथा भूमि भवन का कय विकय (बेचना व खरीदना) दान, बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

102 कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आई0टी0आई0 पालिटेक्निक इंजीनियरिंग कालेजों मेडिकल कालेजों पैरामेडिकल इन्स्टीच्यूट और कालेज तथा योग शिक्षा आदि की स्थापना व संचालन करना।

103 प्रधानमंत्री मौद्रिक योजना के तहत चलने वाले सभी कार्यो का संचालन करना।

Scanned with OKEN Scanner

राम अवध राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-५५०
रसड़ा-बलिया (यू०पी०)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238678

(21)

प्रारम्भिक उपबन्ध

1. वर्तमान के ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक 13.08.2019 से **सुरेन्द्रनाथ राम** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट डीड का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी /प्रबन्धक/सचिव स्वीकृत किया जाता है।
2. यदि वर्तमान में उक्त मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किन्हीं कारणो से अनुपस्थित हों तो उनके कार्यो का सम्पादन मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय / उपप्रबन्धक/उपसचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/ प्रबन्धक/सचिव को अवगत करायेगा।
3. यदि वर्तमान में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाता है तो उसके पश्चात उनकी पति,पत्नी पुत्र, पौत्र जो हों इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव होगें। यदि उनके पुत्र/पौत्र बालिग न हो तो इस दशा में इनकी पत्नी इस ट्रस्ट की मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव होगी जब तक कि उनके पुत्र पौत्र कानूनी रूप से बालिग न हो जायँ।
4. वर्तमान में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।

Scanned with OKEN Scanner

सं. 15 दो - 2-2-09 ई. [illegible] सुरेन्द्र नाथ [illegible] पु. [illegible]
[illegible] पिपरा [illegible] पो. [illegible] = [illegible] -

विजय प्रताप सिंह
विजयप्रताप सिंह
का० नं० 561
[illegible] आ. एस. डा. [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238679

5. मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को चाहिये कि अपने उत्तराधिकारी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/ व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

1 यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 9 (नौ) सदस्य होगें।

2 यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताये ट्रस्टी/सदस्य पद से हटा सकता है।

3 यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आवश्यक सूचना पर आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव स्वयं करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

मो. [illegible] - 2-2-05. [illegible] पृ. 15 -

विकास प्रसाद सिंह
[illegible]
का० न० 587
पी.आ.रसडा. बलिया

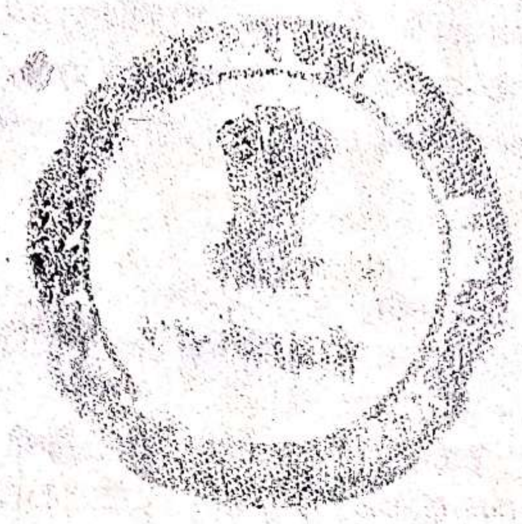

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
(23)
38AA 238680

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस संदर्भ में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तब्य

1 मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त रहेगा वह जबतक जीवित रहेगा अपने मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव पद पर बना रहेगा। मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के अन्त के बाद मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की पत्नी/पुत्र/पौत्र कमशः जो भी हो मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव का पद धारण करेगें जो पीढी दर पीढी चलता रहेगा। मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव अपनी इच्छानुसार अपने जीवन काल में ही यदि चाहे तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है।

2. यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगीं इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

नं. 86 का - 2-2-2021 [illegible] पृ. 82 -

विजय प्रताप सिंह
विजय प्रताप
बा० नं० 561
पी.ए., ए.सी.जे.एम., [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238681

(24)

3 यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. ट्रस्ट या संस्था के विरूद्ध कार्य करने वाले सदस्य को बिना कारण बताये मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा निकाला जा सकता है। जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी एवं उस पद पर किसी अन्य को रखने का अधिकार केवल मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को ही होगा। इस पर किसी भी माननीय न्यायालय में किसी सदस्य या कर्मचारी को वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

5 बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

6 ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए कर्मचारियों / पदाधिकारियों/सदस्यों की नियुक्ति करना।

7 इस ट्रस्ट के अन्तर्गत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन /परिवर्तन करने हेतु रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

8 न्यासी इस बात का हकदार है कि न्यास की लिखित को और उन सभी हक के दस्तावेजों को (यदि कोई हो) जो केवल न्यास सम्पत्ति के ही सम्बन्ध में हो अपने कब्जे में रखे।

खाता संचालन की व्यवस्था

ट्रस्ट का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्टं के नाम से खाता खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

सं. 12 ख-2-2-०६/-20 अंचल-नं. 12-

सिंह

061

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238682

विधिक कार्यवाही

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं ट्रस्टी अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकार

1 ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव रखता है जो कि एक नागरिक को उसके चल व अचल सम्पत्ति पर प्राप्त होते है।

2 ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट/संस्था की ओर से कोई निर्णय लेने लेख–विलेख बनाने हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3 ट्रस्ट का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा।

4 मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय रेहन कर सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

विजय प्रताप सिंह

विजयप्रताप

561

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238683

(26)

5 ट्रस्ट सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष प्रतिष्ठान, संस्था राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान,उपहार, चन्दा आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है। ट्रस्ट विश्व के किसी भी राष्ट्र में किसी भी स्थान पर अपना कार्यालय स्थापित कर अपने कार्यो का संचालन कर सकता है।

6 ट्रस्ट अपने आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी भी संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है।

7 चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा, कय अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराकान्ति विनियोजित आदि कर सकता है तथा ले अथवा दे सकता है।

8 न्यास सम्पत्ति नये न्यासियों के न्यास अधिनियम 1882 की धारा 73 व धारा 74 के अनुसार न्यासी के उत्तरजीवी व उसके वारिसान में निहित होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति

न्यासी का पद उसकी मृत्यु अथवा अपने पद से उसके उन्मोचन से रिक्त होने पर उसके वैधानिक वारिसान से ही रिक्त स्थान की पूर्ति ट्रस्ट प्राविधान के अनुसार की जायेगी।

से. १००ता - २-२-०६/. २०) बजे ए. नं. ५५-

विजय प्रसाद सिंह
(signature)
का. नं. 901
पु.अ.नि., सदर, बक्सर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238684

(27)

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय /उपप्रबन्धक/उपसचिव के अधिकार व कर्तव्य

1 मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उपप्रबन्धक/उपसचिव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को अवगत करायेगा।

2 बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3 ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा निर्देश देना।

4 नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से जारी करना।

5 ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति निलब्न एवं निष्कासन आदि की संस्तुति मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उपप्रबन्धक/उपसचिव को होगा परन्तु उसके लिए मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति आवश्यक होगी।

6 ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।
अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होगें।

7 ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

Scanned with OKEN Scanner

प्रो. ४०९ ता - २-२-०६/-२०) लिखित प्रो. ५४ -

विजय प्रताप

061

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238685

ट्रस्ट(न्यास) के अंग

ट्रस्ट(न्यास) के निम्नलिखित दो अंग होगें।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा(गठन)

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन कर सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त 51000.00 रू0 मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं।

बैठकें

साधारण बैठकें

ट्रस्ट(न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी

विशेष बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मॉग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सं. ४०२/ग- २-२-०६/-२०/ दिनांक ... ५४-

विजय कुमार सिंह
प्रधान लिपिक
बी.आ.एस.ए. बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238686

(29)

सूचना अवधि

साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उपप्रबन्धक/उपसचिव, मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की सहमति से एक सप्ताह की बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुंला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति

बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवशेन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट(न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति

गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होगें प्रबन्धक उपप्रबन्धक, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सदस्य कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव होगा।

Scanned with OKEN Scanner

सं. ४०३ ता- २-२-०६/-२०१ [illegible] नं. ५४-

सिंह

विजय प्रताप

001

आ, एस डा,

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 भारत सत्यमेव जयते INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238687

(30)

<u>विशेष</u>

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक पृथक रूप से मुख्य ट्रस्टी कर सकता है।

2 ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी कारण बस विलम्ब होता है तथा यदि प्रबन्धसमिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

सं. १०४ला – २-२-०९/२०१) ह.नं. ८५.

विजय प्रताप सिंह
विजयप्रताप
का. नं. 561
पी.आ., एस डी, बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 भारत सत्यमेव जयते INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238688

3 नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि इस डीड आफ अपने के उद्देश्य या नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है।

4 मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो किसी किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड किसी प्राविधानों में शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उद्देश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित पारित, आत्मसमर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

সং. ৬০৫ না - ৮-৮-০৫৫. 20 [illegible] ৮৫.

[illegible]

[illegible]

জা. নং ৩৩১

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238689

(32)

5. विदेशो में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों/श्रमिकों जिन्हें बन्धक बनाकर नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है अथवा उनके उपर अन्य प्रकार से सरकार/नियोक्ता द्वारा अन्याय/अत्याचार किया जा रहा है/मानव अधिकारों का हनन हो रहा है/धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है तो ट्रस्ट ऐसे नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय का ध्यानाकृष्ट कर उन्हें स्वतंत्र कराने का अनुरोध करेगा तथा स्वदेश वापसी पर उनके पुर्नवास की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

मो. १०६ता - २-२-०६/-२० [illegible]

[illegible]

वि० नं० ०८

सी० आ० एस० डा० बखि०

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 238690

(33)

अतिरिक्त नियमों का समावेश

क. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित होने वाली अन्य संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक एवं संस्था के निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

ख **इस ट्रस्ट के अन्तर्गत भविष्य में जो भी संस्थायें संचालित होगी उसके मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/ प्रबन्धक/सचिव सुरेन्द्रनाथ राम है।**

ग विद्यालय/संस्था के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा।

घ विद्यालय की प्रबन्ध समिति में ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य होगा।

ङ. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकता है।

नं. १०६ला - २-२-०६/-२०) अभिहस्तांकित तो ०/५ -

विजय प्रताप सिंह
विजयप्रताप
[illegible]
आ. रस [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 238693

(34)

उक्त ट्रस्ट के नियमों/विनियमों को पढ़ समझ कर गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर बनाया गया। वर्तमान में ट्रस्ट/न्यास के पास 5000/– रू0 के अतिरिक्त कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के स्पष्ट हस्ताक्षर

मो0–9839519177 आधार–280555084049 पैन नं0AGTPR8500P

ग0 रमजान पुत्र स्व0मजद्दीन अहमद
ग्राम पिपरा कलॉ पोस्ट पचखोरा
जिला बलिया मो0 9918615792

रमजान

ग0 मुक्तेश्वर सिंह पुत्र रामयश सिंह
ग्राम पोस्ट डिहवा जि0 बलिया
मो0 9451224864

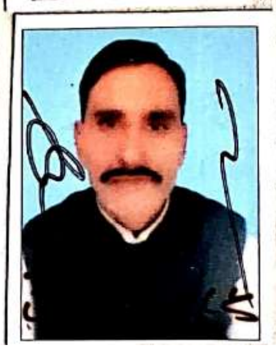

दस्तावेज लेखक का नाम योगेन्द्र यादव
अनुज्ञाप्त संख्या 2
विधि मान्य 31 मार्च 2020
ली गई फीस 100/......
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर
13.8.2019

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 201900977003678

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 40 के पृष्ठ 1 से 74 तक क्रमांक
25 पर दिनाँक 13/08/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल कुमार श्रीवास्तव (प्रभारी)
उप निबंधक : रसड़ा
बलिया
13/08/2019